विचार बिन्दु

लोहा गरम भले ही हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रह कर ही काम कर सकता है। –सरदार पटेल

वयस्क टीकाकरण के दिशा निर्देशों पर चिकित्सकीय सहमति

टीकाकरण की बात आती है तो सभी का ध्यान जन्म के बाद बच्चों को लगने वाले टीकों पर ही जाता है। कोविड काल में पहली बार लोगों ने पाया कि वयस्कों को भी टीके लगाए जा सकते हैं। कोविड महामारी एक आपातकालीन स्थिति थी जिसने आमजन में टीकों के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता पैदा की। यह सभी जानते हैं कि अनेक रोग जो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए खतरा बने हुए हैं वे टीकों से रोके जा सकते हैं। ऐसे रोगों में इन्फ्लूएंजा और न्यूमोकोकल रोगों का खयाल आता है जो भारत में विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं। यह जानकर बहुतों को आश्चर्य होगा कि टीके से रोके जा सकने वाले रोगों से हर साल मरने वाले वयस्कों का अनुपात बच्चों के इसी आंकडे से 350 गुना अधिक है। इसी से भारतीय परिपेक्ष्य में इस चुनौती का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी चिकित्सा चुनौतियों और अधेड लोगों की बढती हुई आबादी के कारण अब यह माना जाने लगा है कि वयस्कों के टीकाकरण के बारे में भी गंभीरता से सोचा जाए। इसके लिए एक सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। सांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार अगले दशक के अंत तक भारत की लगभग 23 प्रतिशत आबादी 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की होगी। इसलिए स्वास्थ्य सेवा में लगे लोग कहते हैं कि वयस्कों के टीकाकरण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वयस्कों के शरीर में कमजोर होती प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी), आयु संबंधी कारण, और महामारी जैसे अनेक सामान्य कारक हैं जो वयस्कों को टीके से रोके जा सकने योग्य रोगों पर ध्यान देने की जरूरत बताते हैं। यह साबित हो चुका है कि टीकाकरण से ऐसे रोग तथा उनकी गंभीरता कम हो जाती है जिन्हें टीका लगा कर रोका जा सकता है। इससे टीके से बचाव वाले रोगों की जटिलताओं की दर भी कम हो जाती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक बोझ से राहत मिलती है और आबादी स्वस्थ आयुवृद्धि पाती है। मगर हम पाते हैं कि बाल टीकाकरण की तो सर्वत्र जागरूकता है मगर वयस्क टीकाकरण पर अभी पूरा ध्यान नहीं गया है। जानकारों का कहना है कि हालांकि वयस्क टीकाकरण के लाभ निर्विवाद हैं, फिर भी देश में उनके टीकाकरण की दरें आदर्श स्तर से बहुत नीचे हैं। जनसंख्या आधारित अध्ययन के अनुसार, भारत में इन्फ्लूएंजा, न्यूमोकोकल, टाइफाइड रोग और हेपेटाइटिस बी के लिए वयस्क टीकाकरण कवरेज क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 0.6 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत के बहुत निचले स्तर पर ही हैं। एक अन्य भारतीय सर्वेक्षण में बताया गया है कि 68 प्रतिशत वयस्क अपने लिए अनुशंसित टीकों के बारे में जानते ही नहीं हैं। यहां तक कि 38 प्रतिशत वयस्कों तो यह मानते पाये गये कि टीकाकरण केवल बच्चों के लिए ही होता है। टीके से रोकी जा सक्ने योग्य बीमारियों के बारे में जानकारी का अभाव, वयस्क टीकाकरण के लिए राष्ट्रव्यापी समान दिशानिर्देशों की अनुपलब्धता, नैदानिक जड़ता, वयस्कों में टीकाकरण के लाभों की कमी और अच्छी तरह से समन्वित टीकाकरण कार्यक्रमों की कमी देश में वयस्क टीकाकरण के सामने बाधा बनी खडी नज़र आती हैं।

हालांकि चिकित्सकों की कई मेडिकल संगठनों ने वयस्क टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं, मगर वे आयु और जोखिम आधारित स्थितियों के आधार पर भिन्न होने के कारण चिकित्सकों के लिए उन पर तर्कसंगत निर्णय लेना मुश्किल पाया गया। मगर अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण पहलू - वयस्क टीकाकरण -के बारे में 'एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया' ने 13 अन्य मेडिकल संगठनों को एक साथ लेकर "वयस्क टीकाकरण 2024 पर भारतीय सहमति दिशानिर्देश" बनाने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये दिशानिर्देश 21 टीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तथा प्रत्येक टीके के विवरण में उन्हें शामिल करते हैं, जिससे उनके बारे में चिकित्सकीय समझ के अंतराल को पाटा जा सके और वयस्क टीकाकरण के लिए चिकित्सकीय निर्णय लेने में स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक सरल रणनीति अपनाई जा सके। दिशानिर्देशों में विभिन्न सह-रुग्णताओं/दीर्घकालिक स्थितियों के लिए टीकों की सिफारिशें भी की गई हैं जो चिकित्सकों को अपने पात्र रोगियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को अनुकूलित करने में सहायता करेंगे। यह दिशानिर्देश पिछले दिनों नई दिल्ली में 'एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन्स ऑफ इंडिया' के 79वें वार्षिक सम्मेलन में उप-राष्ट्रपति ने जारी किये। प्रकाशन के बाद अब इन दिशानिर्देशों को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा और चिकित्सकों द्वारा आसान कार्यान्वयन के लिए संबंधित मेडिकल सोसायटियों की वेबसाइटों पर उन्हें डाला जाएगा। वयस्क टीकाकरण के प्रस्तावित वर्गीकरण में, वैक्सीन की सिफारिशों को -महत्वपूर्ण, आवश्यक, और वांछनीय -तीन भागों में विभाजित किया गया है। इन सिफारिशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण टीके शामिल हैं, जो उच्च रुग्णता और मृत्यु दर वाले रोगों को लक्षित करते हैं और झुंड प्रतिरक्षा (हर्ड इम्यूनिटी) प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक कवरेज पर जोर देते हैं। ये आवश्यक सिफारिशें मध्यम से उच्च बोझ वाली बीमारियों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और रोग के असर को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए लक्षित टीकाकरण रणनीतियों को प्राथमिकता देती हैं। वांछनीय सिफारिशों में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले टीके भी शामिल हैं, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन और लागत प्रभावशीलता जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर भी इनमें जोर दिया गया है। दिशानिर्देशों का यह ढांचा टीकों की सूक्ष्म प्राथमिकता को सक्षम बनाता है, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है, और जनसंख्या स्वास्थ्य पर अधिकतम प्रभाव के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करता है।

उदाहरण के लिए, यदि पोलियो का टीका न लगा हो तो यह रोग पक्षाघात का सबब या खसरा, मस्तिष्क ज्वर और अंधापन का कारण बन सकता है। टीके से रोके जा सकने वाले कुछ रोग टीका न लगने पर मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। चिकित्सकीय ज्ञान कहता है कि टीकाकरण के लाभ उसके जोखिम से कहीं अधिक हैं। बिना टीके के बहुत अधिक रोग और मौतें होंगी।

टीके जैविक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। टीके आम तौर पर रोगजनकों (जैसे बैक्टीरिया या वायरस) के कमजोर या निष्क्रिय रूपों, या उन रोगजनकों के टुकड़ों से बने होते हैं। टीकों में सिंथेटिक घटक भी हो सकते हैं जो रोगजनक की संरचना की नकल करते हैं।टीकाकरण करा कर वयस्क जन रोके जा सकने वाले रोगों से अपने कोबचा सकते हैं तथा संवेदनशील आबादी में रोग के संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि टीके कुछ बीमारियों से प्रतिरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अनुशंसित विशिष्ट टीके आयु, स्वास्थ्य स्थिति और जीवनशैली जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि वयस्कों के लिए अनुशंसित कुछ सामान्य टीकों में फ्लू वैक्सीन, टीडीएपी (टाइटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस) वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, शिंगल्स वैक्सीन और कुछ आयु समूहों के लिए एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) वैक्सीन शामिल हैं। वयस्कों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम टीके के प्रकार और व्यक्तिगत जोखिम कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। आम तौर पर कुछ टीकों को समय-समय पर बूस्टर की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को जीवनकाल में एक या दो बार दिया जाना काफी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श आवश्यक है। कई मामलों में कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले वयस्कों को टीका लगाया जा सकता है और उन्हें टीका लगवाना भी चाहिए। हालांकि, विशिष्ट टीकों की उपयुक्तता व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा इतिहास पर निर्भर करती है। जिन लोगों को टीके के घटकों से गंभीर एलर्जी है या टीकों के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का इतिहास है, उन्हें कुछ टीकाकरण से बचने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या टीकों के हानिकारक और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होते हैं? क्या टीकाकरण घातक हो सकता है? वर्ष 1998 के एक अध्ययन ने खसरा-कण्ठमाला-रूबेला (एमएमआर) वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच संभावित संबंध के बारे में चिंता जताई थी। मगर इस अध्ययन को बाद में गंभीर रूप से दोषपूर्ण पाया गया, और इसे प्रकाशित करने वाली पत्रिका ने पेपर को वापस ले लिया। विद्वान चिकित्सक पूरे इत्मीनान से कहते हैं कि टीके बहुत सुरक्षित होते हैं। टीका प्रतिक्रियाएं आमतौर पर मामूली और अस्थायी होती हैं, जैसे कि हाथ में दर्द होना या हल्का बुखार आना। टीका लगने के बाद बहुत गंभीर स्वास्थ्य घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं और उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी और जांच की जाती है। किसी व्यक्ति को टीके की तुलना में टीके से रोके जा सकने वाली बीमारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती है।

उदाहरण के लिए, यदि पोलियो का टीका न लगा हो तो यह रोग पक्षाघात का सबब या खसरा, मस्तिष्क ज्वर और अंधापन का कारण बन सकता है। टीके से रोके जा सकने वाले कुछ रोग टीका न लगने पर मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। चिकित्सकीय ज्ञान कहता है कि टीकाकरण के लाभ उसके जोखिम से कहीं अधिक हैं। बिना टीके के बहुत अधिक रोग और मौतें होंगी। सफल टीकाकरण कार्यक्रम, सफल समाजों की तरह, सभी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग पर निर्भर करते हैं।वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि एक ही समय में कई टीके देने से प्रतिरक्षा प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। लोग प्रतिदिन कई सौ ऐसे ऐसे पदार्थों के संपर्क में आते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। नई चिकित्सकीय सहमति वाले चिकित्सकों को दिशानिर्देश बनाकर चिकित्सा संगठनों ने महत्वपूर्ण काम किया है। आशा की जानी चाहिए कि अब शासन व्यवस्था वयस्क टीकाकरण को उसी प्रकार आगे बढायेगी जिस प्रकार वह बाल टीकाकरण के लिए सफलतापूर्वक करती आई है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

उच्च शिक्षा का बजट

प्रो. अशोक कुमार

उच्च शिक्षा किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तियों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।

उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, शिक्षा में पहुंच और समानता को बढ़ावा देने, कुशल मानव पूंजी का निर्माण करने और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा।

वर्तमान में उच्च शिक्षा में क्या बजट होना चाहिए यह सुनिश्चित करने से पहले हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप हो। वर्तमान में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ! हमें इस विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होता है और वह कोचिंग केंद्रों पर अपना ध्यान लगाना चाहता है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो स्वरूप है उसमें विद्यार्थी को रोजगार की मिलने की आशा कम नज़र आ रही है ! इसलिए हमें चाहिए कि हम औपचारिक शिक्षा में रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करें ! इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए हमें विश्वविद्यालय में एक परिवर्तन करना पड़ेगा ! हम ऐसे रोजगार से संबंधित विषयों को जिनकी औद्योगिकी से सीधा संबंध हो, छात्रों को उत्प्रेरित करें !

हमारे राज्य को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए, हमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है:-

1. उद्यमिता और नवाचार केंद्रों की स्थापना: उद्यमिता विकास केंद्र : प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जो छात्रों को उद्यमिता और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर सके। इन केंद्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय परामर्श, और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

इनोवेशन हब्स: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जानी चाहिए, जो छात्रों को नई तकनीकों और विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करें। इन हब्स में उन्नत प्रयोगशालाएं और उपकरण होने चाहिए।

2. स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स:

स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स: उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स की स्थापना की जानी चाहिए, जो नवाचार और स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करें।

एक्सेलेरेटर्स प्रोग्राम्स: ऐसे प्रोग्राम्स की शुरुआत की जानी चाहिए जो स्टार्टअप्स को तेज़ी से बढ़ने में मदद करें। ये प्रोग्राम्स वित्तीय सहायता, मेंटरशिप, और बाजार में प्रवेश के अवसर प्रदान करें।

3. वित्तीय सहायता और निवेश: स्टार्टअप फंड: राज्य सरकार को एक विशेष स्टार्टअप फंड की स्थापना करनी चाहिए, जो नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करे।

वित्तीय प्रोत्साहन: निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन और सब्सिडी जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, जो वे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।

4. उद्योग-शैक्षिक संस्थान साझेदारी:-

सहयोग और नेटवर्किंग: उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल मिल सके।

इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप: छात्रों को उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझ सकें और उनके समाधान में योगदान कर सकें।निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जो सरकारों द्वारा संचालित, स्वामित्व या संस्थागत रूप से वित्त पोषित नहीं हैं। हालाँकि, उन्हें अक्सर कर छूट, सार्वजनिक छात्र ऋण और सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है। अपने स्थान के आधार पर, निजी विश्वविद्यालय सरकारी विनियमन के अधीन हो सकते हैं।

डिजिटल और तकनीकी बुनियादी ढांचा:-

स्मार्ट क्लासरूम्स और ई-लर्निंग: उच्च शिक्षा संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम्स और ई-लर्निंग प्लेटफार्म्स की स्थापना की जानी चाहिए, जो छात्रों को डिजिटल शिक्षा और वैश्विक ज्ञान से जोड़ सकें।

ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन: विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए जाने चाहिए, जो छात्रों को नवीनतम तकनीकों और कौशल में महारत दिला सकें।

6. अनुसंधान और विकास (R&D):-

अनुसंधान अनुदान: उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान के लिए विशेष अनुदान प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वे नवीनतम खोजों और नवाचारों में योगदान कर सकें।

अनुसंधान केंद्र: प्रमुख विश्वविद्यालयों में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दें।

इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम राजस्थान में उच्च शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बना सकते हैं।

उच्च शिक्षा में क्या बजट होना चाहिए?

सारी दुनिया ने शिक्षा में बजट को बढ़ाया है। नेशनल एजुकेशन पालिसी में भी यह प्रावधान किया गया है। हमने हमारे शिक्षा बजेट मे जीडीपी का 6 प्रतिशत का प्रावधान किया था लेकिन आज भी हमारे देश में जीडीपी का 3 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। अगर हम इसको अपने बजट (आय) का 6 प्रतिशत ला सके तो बेहतर होगा। जीडीपी की शुरुआत केन्द्रीय सरकार से होनी चाहिए।

दूसरे इस बजट को और ज्यादा प्रभावशाली करने के लिए हमारी राज्य सरकार को अलग से भी सोचना चाहिए। अपने प्रदेश में शिक्षा मे जहां पिछडापन अन्य राज्यों की तुलना मे पहले से ही ज्यादा है। इसलिए हमे दूसरे प्रदेशों की तुलना में आगे आने के लिए इसमें जीडीपी की प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। राज्य सरकार अपने स्त्रोतों से भी इसको लागू करें।

हमें यह निर्धारित करना होगा कि जो बजट है उसकी क्या प्रथिमिकताएं हैं। हमारे राज्य मे उच्च शिक्षा में विभिन्न भोगोलिक परीस्थितियाँ हैं । हमारी शिक्षा में साइंस, आर्ट्स, कामर्स की अलग-अलग दशा है। हम आधारभूत संरचना की बात करें तो बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्स और आवश्यक बुनियादी ढांचे भी बहुत ज्यादा अंतर है और वो भी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है। इसलिए हमे एक सीधा सीधा अनुपात मे हर क्षेत्र को बांटने की जगह पर आवश्यकता के अनुरूप उसका वितरण जब तक नहीं करेंगे बजट बढ़ाने का फायदा नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के स्तर पर भी निश्चित रूप से अपने स्त्रोतों के बारे मे बड़े पैमाने पर सोचना होगा : एक, आय बढ़ा कर के दूसरा व्यय घटा करके। अगर हम आय नहीं बढ़ाते हैं तो व्यय ही घटा लें। तब भी हमारा बहुत सारा लक्ष्य पूरा हो सकता है।

बजट के सही उन्नयन के लिए, सही उपयोग के लिए, हम व्यवसायिक प्रोफेशनल बॉडीज और टेक्निकल बॉडीज का सहारा लेना चाहिए , जो भी हमारे पास हैं । कम हो वो हम प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल मार्गदर्शन के तहत ही उसको क्रियान्वित करें। विश्वविद्यालय को इसमें भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करें ना की रूसा (आरयूएसए) की तरह।

विश्वविद्यालय प्रणाली में सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत किया जा सकता है।

कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग जैसी आंतरिक क्षमताओं को विभाजित करके वेब डिजाइनिंग, वेब रखरखाव और विभिन्न अन्य तकनीकी कार्यों का काम अपने हाथ में ले लें।

पोर्टल के प्रबंधन के लिए समर्थ जैसी सरकारी एजेंसियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएं, जिससे कंप्यूटर विक्रेताओं को दिए जाने वाले भारी खर्च को बचाया जा सके।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय

मां गंगा ना मैली थी, ना मैली होगी, गंगा सदैव पवित्र ही रहती है

राजेन्द्र जोशी

रविवार के दिन मां गंगा मैया बहुत व्यस्त रहती थी। लोग मिलने आ रहे थे या गंगा स्नान। गंगा स्नान के लिए भी कुछ लोग पर्यटक की तरह आते हैं। और कुछ आस्था से गंगा के पास दौड़े चले आते हैं। हमारे मित्र हीरालाल हर्ष की और हमारी इच्छा थी की गंगा आरती की जानी चाहिए, खोजबीन की गई गंगा महासभा के पदाधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने हमारा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और सबसे ज्यादा भीड़ वाले दिन रविवार को हमें गंगा आरती का अवसर दिया। गंगा आरती से पूर्व हर की पौड़ी पर विधि विधान से गणपति गौरी और मां गंगा की पूजा-अर्चना के बाद महा आरती का आयोजन किया गया । प्रतिदिन मां गंगा की पूजा-अर्चना और महा आरती विधि विधान से 6:00 बजे शाम को प्रारंभ होती है 7:30 बजे आरती प्रारंभ होती है 8:00 बजे तक महा आरती चलती रही । मां गंगा स्वयं हमारे सामने उपस्थित हुई। और हमारी आरती को उन्होंने स्वीकार किया। प्रसन्न हो कर कह रही थी कि मेरी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं आपकी है, मैं तो बहती रहूंगी, न ठहरुंगी और न थकूंगी। विद्वान युवा पंडित गंगाधर पांडे ने विधि विधान से पूजा-अर्चना का दायित्व निभाया। गंगा का स्वरूप तो था ही परंतु स्वयं गंगा मैया मौजूद रही। यह समय वह था जब मां गंगा को थोड़ा आराम भी मिल जाता उसकी छाती पर खड़े होकर अठखेलियां करने वाले लोग थम गये।गंगा के चारों तरफ भीड़ ही भीड़, हर की पौड़ी का नजारा देखने लायक बनता है, शायद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी यह अंदाज नहीं होगा कि जिस हर की पौड़ी के निर्माण की कल्पना उन्होंने की थी वह सबसे बड़ा आस्था का घाट बनेगा। महा आरती में शामिल होना खुद करना हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते ऐतिहासिक काम हो गया। इस तरीके के काम में शामिल होने से विचारधारा नहीं बदलती यह व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है देश में सभी लोग मां गंगा को प्रणाम करते हैं चाहे वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो यह किसी एक की ठेकेदारी में नहीं है बल्कि समस्त भारतीयों की जिम्मेदारी में है।

कितने भी लोग आ जाएं, संख्या बढ़ती जाएं पर फिल्मी गाना 'राम तेरी गंगा मैली हो गई...' से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, 'मेरी गंगा ना मैली थी, ना मैली होगी, गंगा सदैव पवित्र ही रहती है।' हिंदुस्तान में नदियों का अपना महत्व है सभी नदियां पवित्र है। तभी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सभी नदियों को मिला लीजिए पूरा देश पवित्र हो जाएगा, उनका यह कथन इसलिए नहीं था कि केवल पानी की उपलब्धता रहेगी बल्कि उनके कथन को इस रूप में देखना चाहिए कि जहां-जहां यह नदियां जाएगी वहां-वहां दुष्टता खत्म होगी पवित्रता बढ़ेगी। सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी होगी, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जो खुद को बनाने में लगे हैं उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया।

मां गंगा जिस समय धरती पर अवतरित हुई थी क्या सोच रही होगी भागीरथ की भगवान विष्णु ने वचन पूरा करने के लिए देवाधिदेव शिव की जटा से गंगा को प्रवाहित किया और फिर भगवान शिव की जटा से गंगा धरती पर अवतरित होने लगी । उनके भीतर यह भी था कि गंगा के प्रभाव को धरती कैसे संभाल पाएगी अब तो नारायण और शिव प्रसन्न हो रहे होंगे कि भारत में गंगा ठीक से संभल भी गई, गंगा पूजनीय भी हो गई और तो और लाखों लोगों के रोजगार का साधन गंगा हो गई। गंगा जहां भी गई रोजगार का बड़ा साधन बन कर गई। हरि के द्वार में हरिद्वार में हजारों लोग प्रतिदिन अलग-अलग साधनों से विभिन्न क्षेत्रों से रोज आते हैं कुछ लोग यहां रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं।

यहां के लोग भी आने वाले यात्रियों के स्वागत में पूरा दिल खोल देते हैं। गंगा स्नान तो हम बरसों से करते आ रहे हैं पर जब से गंगा आरती प्रचलित हुई है देश-दुनिया में गंगा आरती का आकर्षण हुआ, सोशल मीडिया पर एवं प्रत्यक्ष रूप से गंगा आरती के समय लगभग लाखों लोगों का आरती के दर्शन करना आरती में शामिल होना एक अजूबा ही है।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद्-साहित्यकार

उदयपुर में जहरीला आलू खाने को लोग मज़बूर

उदयपुर। उदयपुर में जहरीला आलू खाने को लोग मज़बूर हैं। उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। परन्तु वहां आलू के प्रसंस्करण की कोई व्यापक उद्यमता अभी तक विकसित नहीं हो सकी है। हालांकि भण्डारण के लिए शीतगृह पूरे मध्य भाग में फैले हुए हैं जो उत्पादन मात्रा की दृष्टि से अभी भी काफी कम हैं और रहेंगे, जब तक आलू के प्रसंस्करण और विभिन्न उत्पाद यथा-आलू से स्टार्च, चिप्स, त्वरित सब्जी बनने योग्य आलू, भण्डारण और ट्रांसपोर्ट के लिए सुगम व सस्ता विकल्प, आलू आटा आदि अनेक पदार्थ आलू के मिश्रण से न विकसित हो जिससे आलू उत्पादन करने वाले किसान भी लाभान्वित हो सकें। और जो आलू उपयुक्त भण्डारण उपलब्ध न हो पाने से शीतगृह नजदीक सड़क पर महीनों सड़ते रहते हैं, उससे निजात मिल सके तथा पर्यावरण शुद्ध रह सके।

शिमला स्थित अनुसन्धान केंद्र पर चिप्सोना और चंद्रमुखी आलू की लुभावनी किस्में विकसित हो चुकी हैं जिनसे उत्तम गुणवत्ता के चिप्स बनाये जा सकते हैं।

सब्जी के तौर पर भी यह आलू पूरे उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों में पहाड़ी आलू के नाम से उस समय बिकता है जब लोकल आलू भण्डारण की अवधि में अंकुरित हो जाने से खाने योग्य नहीं रहता यह जहरीला हो जाता है, क्योंकि अंकुर स्फुरण से इसमें दो रसायन जिन्हें ग्लय्कोएल्कलॉइड्स कहते हैं आलू के अंदर बन जाते है, इनमें सोलनिन्स और चाकोनिन्स प्रमुख हैं। उदयपुर में आलू बेचने वाले इन अंकुरों को हमेशा तोड़ते रहते हैं। राजस्थान के व अन्य आलू खरीदकर खाने वाले लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जो जहरीला रसायन अंकुरण से पैदा हो गया है वह तो अंकुर हटाने पर भी आलू के अंदर रह जाता है। और यह भूनने, उबालने, पकाने आदि से भी नष्ट नहीं होता, केवल आलू का स्किन पूरी तरह हटाने से यह अधिकांश छिलके में चला जाता है।

आलू के एक टूबर में अनेक आँखें होती हैं जिनसे अंकुर स्फुरण होता है। गृहणियां तो एक सप्ताह का आलू-प्याज लेकर रख लेती हैं। ऐसे में घरों में भी आलू का अंकुरण होता रहता है और गृहणियां इसके दुष्प्रभाव से अनभिज्ञ रहती हैं। अंकुरण से आलू की बाज़ारू गुणवत्ता भी कम हो जाती है। उदयपुर और प्रदेश के अन्य शहरों में भी संभवतः ऐसा आलू ही बिकता है क्योंकि इस प्रदेश में अनभिग्यता की पराकाष्टा और कृषि ज्ञान प्रसार कार्यक्रमों में शिथिलता है। ये आलू मुख्य रूप से सूअरों को खिलाने और उन पर जल्दी चर्बी बढ़ाने में काम आता है।

फल व बागवानी महाविद्यालय अनुसंधान और विस्तार निदेशालय जैसे उपक्रम संसाधनों सहित सभी कुछ मौजूद है लेकिन इन सबकी आँखें और दिमाग बंद हो चुके हैं। उपभोक्ता सरकार से पूछे कि पहाड़ी आलू उदयपुर में क्यों नहीं आता और बिकता? जबकि अन्य प्रदेशों के छोटे शहरों में भी यह सुगमता से उपलब्ध होता है। अंकुरित आलू खाना सुरक्षित नहीं है। इसमें मौजूद रसायनों के पेट में पहुंचने पर पेट दर्द, उबकाई आना, उल्टियां, दस्त व अन्य पाचन तंत्र सम्बन्धी व्याधियां और सिर दर्द, बुखार और बेचैनी आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप लोग उदयपुर में व अन्य जगह बिकने वाला अंकुरित आलू नहीं खाये। यदि वे चाहते हैं कि उन्हें अंकुरित आलुओं में मौजूद विषैले रसायनों की हानि से बचे रहना हो, आलू की कुकिंग करते समय भी ये विष पूरा नष्ट नहीं होता इसलिए कुकिंग के समय आलू कच्चा नहीं रहना चाहिए ताकि विषैले रसायन की मात्रा कुछ विष प्रभावी हो सके। वैसे ऐसी रिपोर्ट हैं कि ये विषैले रसायन ताप से नष्ट नहीं होता।

अंतिम अनुरोध और सलाह शासन और प्रशासन से भी किया है कि वे इस बात की समुचित व्यवस्था करें और व्यापारियों को भी निर्देशित करें कि वे अंकुरित आलू और अन्य ऐसी हानिकारक फल, सब्जी, आदि न बेचे। फ़ूड सेफ्टी प्राधिकरण और जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि संभावित जहरीले खाद्य उपभोक्ताओं को न बेचे जायें।

गौरतलब है कि आलू काफी समय से देश में एक सब्जी के तौर पर लोग उपयोग में ला रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आलू एक भोज, जो सर टॉमस रौ ने बादशाह जहाँगीर के सम्मान में रामसर (अजमेर) नामक स्थान पर दिया था। इस शाही दावत में आलू के कई व्यंजन परोसे गए थे, इससे पूर्व बादशाह ने अजमेर में ही टॉमस रौ के सम्मान में भोज दिया था।

कहते हैं इस अवसर पर बादशाह ने टॉमस रौ को देश में तिजारत करने की आज्ञा प्रदान की थी, स्थान था 'रामसर' अजमेर के पास जहां आज भी एक सरकारी फार्म संभवतः संचालित है।

वहां कुछ वर्ष पूर्व स्विट्ज़रलैंड सरकार के साथ एक अनुबंध के तहद राजस्थान की एक प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पर अनुसंधान और एक्सटेंशन कार्य संचालित किया गया था। इस शाही दावत से खुश होकर बादशाह ने सर टॉमस रौ से आलू का उत्पादन भारत में करने का अनुरोध किया था। इतिहास की सच्चाई पता नहीं परन्तु तब से आलू बहुत बड़े स्तर पर देश के प्रत्येक प्रदेश में विभिन्न किस्मों का उगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कई वर्षों से अनुसंधान करने और विभ